फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/620 बअनवान चन्दन सिंह वगैरा बनाम तहसीलदार बाली प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13.05.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि ग्राम मौरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी के खसरा न. 1387/1133 रकबा 0.495 हैक्टर एवं पूर्व दिशा की ओर स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा न. 1430/1133 रकबा 0.0544 हैक्टर की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है। इस सबंध में निरीक्षक भू अभिलेख बेडा की जांच रिपोर्ट से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि खातेदार शंकर पुत्र मेघाजी जाति गरासिया से खरीदशुदा आवासीय इकाई की भूमि है। प्रार्थीगण ने अपनी आवासीय इकाई का रकबा रिकॉर्ड के मुताबिक मौके पर कम होने तथा उक्त रकबा पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा न. 1430/1133 रकबा 0.0544 हैक्टर के बीच की मांठ कायमी के लिए पत्थरगढी का आवेदन किया है परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी धारित आवासीय इकाई की भूमि का सीमांकन करवाये जाने के किसी आवेदन अथवा उस पर हुई कार्यवाही का कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नही किया है तथा इस बाबत ततहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में भी अंकन नहीं है। निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 05 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नंबर 1387/1133 का रकबा मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप प्रतीत नहीं हो रहा है तथा रिकॉर्ड के मुकाबले राजस्व नक्शे में रकबा कम प्रतीत होना वर्णित किया है। अतः तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की धारित आवासीय ईकाई की भूमि खसरा नंबर 1387/1133 का सीमांकन कर मौके पर रकबे की कमी पाये जाने पर खसरा नंबर 1387/1133 के पूर्व दिशा की ओर स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1430/1133 रकबा 0.0544 हैक्टर के बीच पत्थरगढी कायमी की कार्यवाही सुनिश्चित कर पालना प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with OKEN Scanner